संख्या-04/2017/980/38-3-2016-43(अधि0)/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय की भांति सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-893/स्था0-3/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-21/2016/वे0आ0-2-397/दस-2016-8(म0स0स0)/2011टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2016 के क्रम में विभागीय शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय पर उपलब्ध निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कार्मिकों को स्वीकृत पदों की सीमा के अधीन ग्रेड वेतन रू0 1900/- अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र0 | पदनाम | स्वीकृत पद | वेतनमान | पुनरीक्षित वेतनमान | वर्तमान ग्रेड पे | अनुमन्य ग्रेड पे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दफतरी | 05 | 2610-3540 | 4440-7440 | 1800 | 1900 |
| 2. | जमादार | 01 | 2610-3540 | 4440-7440 | 1800 | 1900 |
| 3. | साइक्लोस्टाइल आपरेटर | 02 | 2610-3540 | 4440-7440 | 1800 | 1900 |
| 4. | बंडल लिफटर | 01 | 2610-3540 | 4440-7440 | 1800 | 1900 |

3- उपर्युक्तानुसार संशोधितग्रेड पे शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से अनुमन्य कराया जायेगा। इन पदों पर पदोन्नति एवं तैनाती की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2/2698/दस-2017, दिनांक 17-01-2017में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2017/980(1)/38-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।